भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(83)

मानननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इंदौर

R. 3438-II/13

रिविजन याचिका क्रमांक /2013

श्रीमती स्वाती पति रवि बड़जात्या
निवासी–13–14, शांति निकेतन, इन्द्रलोक कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.)
द्वारा आम मुखत्यार मंजु पिता सुभाष वर्मा
निवासी–17/3, मनोरमागंज, इंदौर (म.प्र.)

.....प्रार्थी

विरूद्ध

थाना प्रभारी
पुलिस थाना किशनगंज,
तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, महू जिला इंदौर (म.प्र.)

......प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता एवं धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत

प्रार्थी यह रिविजन याचिका माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा अपील प्रकरण क्रं. 55/अपील/2012–13 में पारित **रिमांड आदेश** दिनांक 17.06.2013 से असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत करता है कि :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3438-दो/13

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदिका की ओर से श्री मोहन शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	